Speed Post

सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. KS/2/2018/MINB1/SETRAN/RU-III   Date: 27.03.2019

To,

Director General,
Doordarshan Bhawan,
Tower No. 1,Copernicus Marg,
Mandi House, New Delhi - 110001

Sub: Minutes of the Sitting taken by Ms. Anusuiya Uike, Hon'ble Vice Chairperson, NCST on 06.03.2019 on the issue of Discrimination & continuous Harassment in the matters inter-se Seniority, Promotion, transfer Roaster System..

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the Sitting taken by Ms. Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice -Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 06-03-2019 for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within fifteen days.

Encl: As above

Yours faithfully,

27/3/2019

(Dr. Lalit Latta)
Director

Copy to:

1. Shri K. Srinivas,
   Video Executive,
   Dordarshan Kendra,
   J. C Nagar,
   Bengaluru (Karnataka)-560006
2. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- KS/2/2018/MINB1/SETRAU/RU - III)

श्री के. श्रीनिवास, विडियो एक्जक्यूटिव, दूरदर्शन केंद्र जयपुर, राजस्थान द्वारा वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति और स्थानांतरण रोस्टर प्रक्रिया में भेदभाव और उत्पीड़न किए जाने के विषय में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में सुश्री अनुसुईया उइके माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 06.03.2019 को आयोग में दोपहर 12.30 बजे आयोजित सीटिंग का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 06.03.2019, 12.30 बजे

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री के. श्रीनिवास, विडियो एक्जक्यूटिव, दूरदर्शन केंद्र जयपुर, राजस्थान द्वारा दिनांक 03.10.2018 को अंतर-वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति दिए जाने और स्थानांतरण प्रक्रिया में भेदभाव किए जाने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया गया था।
2. मामले में आयोग द्वारा संज्ञान लेकर दिनांक 05.12.2018 को महानिदेशक, दूरदर्शन को नोटिस भेजी गई थी। विभाग द्वारा कोई जवाब प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 08.01.2019 को स्मरण पत्र जारी किया गया।
3. विभाग द्वारा दिनांक 28.01.2019 को दूरदर्शन से जवाब प्राप्त हुआ था। जवाब में बताया गया था कि कैमरामैन ग्रेड- II सीधी भर्ती है। श्री के. श्रीनिवास का नाम वरिष्ठता क्रम में उचित स्थान पर है। दूरदर्शन के जयपुर केंद्र में उनका निर्धारित कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। दिनांक 13-04-2018 को आवेदन स्थानांतरण समिति के पास था लेकिन बैंगलुरू केंद्र पर रिक्ति नहीं थी। जिसकी प्रति अभ्यावेदक को भेजी गई थी।
4. दिनांक 21.01.2019 को श्री के. श्रीनिवास ने आयोग के समक्ष अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया था।
5. मामले में उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 06.03.2019 को दोपहर 12.30 बजे सिटिंग निर्धारित की गई थी। बैठक में डीडीजी (प्रशासन), दूरदर्शन उपस्थित हुए।

सुश्री अनुसुईया उईके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6. आयोग द्वारा सिटिंग में पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया, श्री के. श्रीनिवास ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि यूपीएससी द्वारा 1989 में कैमरामैन ग्रेड- II के पद पर मेरी नियुक्ति हुई थी। महानिदेशक दूरदर्शन द्वारा जारी अंतर-वरिष्ठता सूची में मेरा नाम क्रम संख्या- 92 पर है। अन्य लोगों को कैमरामैन ग्रेड- I के रूप में प्रमोशन दिया गया है जिससे वे मुझसे वरिष्ठ हो गए हैं।

इसके साथ ही मैंने दूरदर्शन केंद्र हैदराबाद/बैंगलुरू में स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया था। मेरे पिता वृद्ध है जिसके कारण मैं परिवार के नजदीक स्थानांतरण चाहता हूं। मैंने महानिदेशक दूरदर्शन को उचित वरिष्ठता सूची तय करने और स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया था लेकिन मेरे आवेदन पर विचार नहीं किया गया।

7. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1989 में कैमरामैन ग्रेड- II के पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग में मैं एकमात्र चयनित उम्मीदवार था। डीओपीटी के निर्देशानुसार 1990 से महानिदेशक दूरदर्शन द्वारा कैमरामैन ग्रेड- I की अंतर-वरिष्ठता सूची और योग्यता सूची नहीं तैयार की गई। वीडियो एक्जक्यूटिव में दिनांक 11.09.2014 को जारी अंतर-वरिष्ठता सूची में मेरा नाम 23 वें स्थान पर था, दिनांक 16.05.2018 को नवीनतम वरिष्ठता सूची में मेरा नाम 92 वें स्थान पर है जबकि मैं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में हूं और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हूं, इस आधार पर मेरा नाम अंतर-वरिष्ठता सूची में ऊपर होना चाहिए।

8. आयोग ने विभाग का पक्ष जानना चाहा, जिसके बाद आयोग में उपस्थित दूरदर्शन के डीडीजी (प्रशासन) ने बताया कि प्रमोशन की वरिष्ठता सूची में श्री के. श्रीनिवास का नाम उचित स्थान पर है। 1997 से पोस्ट के अनुसार रोस्टर बना है। उससे पहले रिक्तियां आधारित थी। जिसमें उपलब्ध पद के अनुसार पदोन्नति मिलती थी।

9. जब इन्होंने स्थानांतरण के लिए अपना आवेदन दिया था उस समय दूरदर्शन के हैदराबाद केंद्र पर विडियो एक्जक्यूटिव का पद नहीं था इसलिए वहां स्थानांतरण नहीं किया जा सका। दूरदर्शन के बैंगलुरू केंद्र पर भी रिक्ति नहीं होने के कारण वहां स्थानांतरण नहीं किया जा सका। जयपुर केंद्र पर भी इनका निर्धारित कार्यकाल भी उस समय पूरा नहीं हुआ था।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

10. डीडीजी(प्रशासन) ने आयोग के माननीय उपाध्यक्ष महोदया के समक्ष श्री के श्रीनिवास के मामले में अंतर-वरिष्ठता सूची तैयार कराने व 31 मार्च 2019 तक हैदराबाद/बैंगलुरू केंद्र में विडियो एक्जक्यूटिव के पद को जल्द से जल्द स्थानांतरित किए जाने के बाद अभ्यावेदक को उक्त केंद्र पर स्थानांतरित किया जाना स्वीकार किया ।

11. आयोग ने सभी पक्षों को सुनने के पश्चात निम्नलिखित अनुशंसा की गई : -

क. दूरदर्शन द्वारा शीघ्र पोस्ट स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए और अभ्यावेदक श्री के. श्रीनिवास का स्थानांतरण दूरदर्शन के बैंगलुरू केंद्र पर समयावधि के अंदर किया जाए।

ख. अंतर-वरिष्ठता सूची में अभ्यावेदक का नाम उचित क्रम पर निर्धारित किया जाए एवं रोस्टर में नियमानुकूल बदलाव करते हुए शीघ्रातिशीघ्र अभ्यावेदक को पदोन्नति दी जाए।

ग. दूरदर्शन, कार्यवृत्त की प्राप्ति होने के पश्चात 15 कार्यदिवस के अंदर आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट से अवगत कराए ।

सुश्री अनुसुईया उईके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- KS/2/2018/MINB1/SETRAU/RU - III)

श्री के. श्रीनिवास, विडियो एक्जक्यूटिव, दूरदर्शन केंद्र जयपुर, राजस्थान द्वारा वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति और स्थानांतरण रोस्टर प्रक्रिया में भेदभाव और उत्पीड़न किए जाने के विषय में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में सुश्री अनुसुईया उइके उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 06.03.2019 को आयोग में दोपहर 12.30 बजे आयोजित सीटिंग सिटिंग में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची –

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष
  - (2.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  - (3.) श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष महोदया के निजी सचिव
  - (4.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **दूरदर्शन के अधिकारी**
  - (1.) श्री राजीव सिन्हा, डीडीजी(प्रशासन)
- **अभ्यावेदक**
  - (1.) श्री के. श्रीनिवास